e.Mh lfefr Åuk d y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 4@08 l 3@2010

1 xr vd{k.k ifronu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:–

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu 4@87 l 3@95

1	पैरा 9	अनिर्णीत

¼[k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu 4@95 l 3@96

1	पैरा 14	अनिर्णीत

¼x½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu 4@98 l 3@99

1	पैरा 17	अनिर्णीत

¼?k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu 4@99 l 3@2001

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत

¼³½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu 4@2001 l 3@2002

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 23	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu 4@2002 ls 3@2004

1	पैरा 5	अंषतः निर्णीत। क्षेत्रीय प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम तथा मैसर्ज हिमगिरी फ्रूट कम्पनी से सम्बन्धित कार्यवाही वांछित है।
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu 4@2004 ls 3@2006

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 14	निर्णीत (कार्यालय विश्राम गृह के लिए 6 टंकियों को एक कनैक्षन पानी जाने व एक कनैक्षन पानी आने तथा एक टंकी को अलग से बी0आई0पी कमरे के कनैक्षन देने के कारण कुल 13 कनैक्षन हैं।)
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अंषत निर्णीत (मीटर की जमा प्रतिभूति वापिस लेने बारे कार्यवाही वांछित है।)
8	पैरा 23(1)	निर्णीत (कुटेषनें देख ली गई हैं।)
9	पैरा 23(4)	निर्णीत (मुबलिग 391 रुपये की वसूली रसीद संस्था 147 / 1 दिनांक 14.6.2010 द्वारा कर ली गई है।)
10	पैरा 24	निर्णीत (निविदाओं की पुष्टि कर ली गई। किसान प्रशिक्षण षिविरों के आयोजन हेतु बजट प्रावधान तथा स्वीकृति विपणन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.3.06 की मद संख्या 34 के अनुसार किया गया।)
11	पैरा 25(ख)	निर्णीत (प्रशिक्षण षिविरों का आयोजन विपणन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.3.06 की मद संख्या 34 के अनुसार किया गया।)

¼t½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu 4@2006 l 3@2008

1	पैरा 3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क की राशि यू0टी0आई के बैंक ड्राफ्ट संख्या662499 दिनांक 23.10.08 द्वारा भेज दी गई है।)
2	पैरा 4	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।)
3	पैरा 5	निर्णीत (मु0 50,000/—रुपये की राशि का समायोजन वाऊचर संख्या 118 दिनांक 17.11.08 द्वारा तथा मु0 1125/—रुपये की वसूली की जा चुकी है।)
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8(1)	निर्णीत (मु0 17,25,000/—रुपये की राशि रसीद संख्या 93/23 तथा 93/24 दिनांक 26.12.09 द्वारा प्राप्त हो गई है।)
7	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 10	निर्णीत (अधिक किए भुगतान मु0 16,868 रुपये की वसूली कर ली गई है।)
10	पैरा 11(1) व (2)	निर्णीत (सचिव विपणन समिति ऊना के सटिप्पण उत्तर के अनुसार जो भी मषीनरी व फर्नीचर आदि क्रय किए जाते हैं वह सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए जाते है।)
11	पैरा 12	अनिर्णीत
12	पैरा 13	निर्णीत (बकाया किराए की वसूली निम्नानुसार कर ली गई है।)

	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
(i)	1077/3,4	7.4.08	2700.00
(ii)	1077/5	7.4.08	2342.00
(iii)	1063/50	3.4.08	2584.00
(iv)	1077/1	3.4.08	2584.00
			10210-00

13	पैरा 14	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
14	पैरा 15	निर्णीत (सचिव विपणन समिति ऊना ने सूचित किया है कि यह भुगतान दूसरी बार रंग रोगन करने हेतु किया गया है।)

15	पैरा 16	निर्णीत (सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
16	पैरा 17	निर्णीत (मदों की प्रविष्टि की पुष्टि भण्डार पंजिका पृष्ठ 84 पर कर ली गई है।)
17	पैरा 18	निर्णीत (समिति की दिनांक 19.2.09 की बैठक की मद संख्या 3 द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।)
18	पैरा 19	अनिर्णीत
19	पैरा 20	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 22	अनिर्णीत
22	पैरा 23	अनिर्णीत
23	पैरा 24(1)	निर्णीत (मु0 12,203 रुपये की वसूली रसीद संख्या 84/4 दिनांक 22.9.09 द्वारा कर ली गई है।)
24	पैरा 24(2)	अनिर्णीत
25	पैरा 25	अनिर्णीत
26	पैरा 26	निर्णीत (मु0 3900 रुपये की राशि की वसूली की पुष्टि निम्नानुसार कर ली गईः–

	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
(i)	42/8	5.3.09	2000.00
(ii)	114/21	30.3.10	1000.00
(iii)	138/50	21.5.10	900.00
			3900-00

27	पैरा 27	अनिर्णीत
28	पैरा 28	अनिर्णीत
29	पैरा 29	निर्णीत (मु0 202 रुपये की वसूली रसीद संख्या 63/30 दिनांक 8.6.09 द्वारा कर ली गई है।)
30	पैरा 30	अनिर्णीत
31	पैरा 31	निर्णीत (दुकानों का आबंटन दिनांक 4.7.09 को कर दिया गया है।)
32	पैरा 32	अनिर्णीत
33	पैरा 33	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।)

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

अवधि 4/08 से 3/10 तक के लेखाओं का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्त्ती पैरों में दिए गए हैं सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी व संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.4.2010 से 19.6.10 तक ऊना में किया गया। विस्तृत जांच पड़ताल हेतु आय के लिए माह 8/08, से 3/09, 12/09, 3/10 तथा व्यय हेतु माह 1/09, 3/09, 8/09 व 3/10 का चयन किया गया अनुवर्ती पैरों में दिए गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non-information on the part of auditee. Responsibility of Audit in confined to the months selected for test/detailed check."

अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/10 तक विपणन समिति ऊना के आहरण एवं वितरण अधिकारी निम्नानुसार थे:-

Øe la[;k	vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh dk uke o in	vof/k
1	डा0 वी0के बग्गा (सचिव)	9.10.04 से 30.9.09
2	डा0 जी0पी0 शर्मा	1.10.09 से 21.2.10
3	श्री सुषील गुलेरिया	22.2.10 से 31.3.10

3 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 4/2008 से 3/2010 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क मुबलिग 79,422 रुपये आंका गया, जिसे अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 408/2010 दिनांक 4.6.10 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को निदेषक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश षिमला-9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क मुबलिग 79,422 रुपेय की राशि एक्सिस बैंक के ड्राफ्ट संख्या 808913 दिनांक 19.6.10 द्वारा भिजवा दी गई है।

4 foRrh; fLFkfr %&

अंकेक्षण अवधि में विपणन समिति ऊना की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी:-

	2008&09	2009&10
प्रारम्भिक शेष	38,39,786.03	27,27,908.03
आय	83,95,077.00	94,38,839.00
;ksx	1]22]34]863-03	1]21]66]747-03
व्यय	95,06,955.00	63,77,431.00
शेष	27,27,908.03	57,89,316.03

fnukad 31-3-2010 dks vfUre 'ks"k dk fooj.k%&

¼d½ cpr [kkrksa esa tek jkf'k;ksa dk fooj.k %&

1	पंजाब नेषनल बैंक ऊना खाता संख्या 01176793	17,559.18

2	दी कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊना खाता संख्या 693	23,25,858.42
3	दी कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित संतोषगढ़ खाता संख्या 2225	28,846.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया ऊना खाता संख्या 040033	2,76,236.73
5	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया गगरेट खाता संख्या 02868496	2,24,345.62
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा ऊना खाता संख्या 60251	14,942.08
7	एक्सिस बैंक ऊना खाता संख्या 01679192	12,46,963.00
		;kx %& 41]34]751-03

¼[k½ Ikof/kd tek ;ktuk e fuo'k ¼i.k fooj.k lyXu ifjf'k"V ^d* e of.kr gA½

1	दी कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक संतोषगढ़	1,62,926.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया ऊना	7,62,752.00
3	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया ऊना	2,34,700.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया गगरेट	2,35,311.00
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ऊना शाखा	2,23,381.00
		;kx %& 16]19]070-00
¼x½ gLrxr jkf'k		28]488-00
d][k]x]dk ;kx		57]82]309-03

vUrj %& 57,89,316.03 – 57,82,309.03 = 7007.00 रुपये।

vUrj dk dkj.k %&

दिनांक 31.3.2010 को एक्सिस बैंक ऊना के खाता संख्या 01679192 में चैक संख्या 276467 दिनांक 26.3.10 मु0 7007.00 रुपये की राशि जमा की गई। परन्तु बैंक द्वारा इस चैक को खाते में दिनांक 2.4.10 को जमा किया गया जिसकी पुष्टि कर ली गई है।

¼ii½ vk;&O;; fooj.k %&

विपणन समिति ऊना का गत तीन वर्षों का आय–व्यय विवरण परिशिष्ट –'ख' पर संलग्न है। आय–व्यय की मदों में निम्नानुसार कमी/वृद्धि पाई गई। इनके कारणों बारे सचिव विपणन समिति ऊना ने ऑडिट मैमों संख्या 409/2010 दिनांक 10.6.10 के संदर्भ में जो सूचना उपलब्ध करवाई है वह भी परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है तथा न्ययोचित है।

vk; %&

Ø0 l0	en dk uke	2007&08	2008&09	2009&10
1	लाईसैन्स फीस	69,000.00	22,090.00	11,920.00
2	(अनाज)	24,98,604.00	39,43,152.00	20,71,746.00
3	ब्याज	5,20,288.00	1,98,466.00	1,70,420.00
4	केन्द्रीय सहायता/पूंजीगत प्राप्तियां उधार	32,25,000.00	–	17,25,000.00
5	कानूनी प्रभार/दण्ड आय	4,08,819.00	59,512.00	75,729.00
0;; %&				
1	वेतन	19,44,018.00	24,82,641.00	25,67,990.00
2	मजदूरी	19,115.00	3,172.00	33,942.00
3	मानदेय	28,500.00	3,774.00	36,000.00
4	प्रिंटिंग एण्ड सटेषनरी	37,423.00	62,283.00	1,05,646.00
5	मुरम्मत एवं रख–रखाव	21,284.00	5,290.00	28,455.00
6	सैमिनार एण्ड ट्रैनिंग	–	15,363.00	1,62,867.00
7	आय–कर	–	36,50,090.00	3,93,651.00

5 vfxze jkf'k;k %&

¼d½ विपणन समिति ऊना द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/10 तक अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भुगतान की गई अग्रिम राशियां समायोजन हेतु शून्य थी।

¼[k½ विपणन समिति ऊना द्वारा निम्नानुसार अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/10 तक श्री अजय वैद्य को 10,000 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में जारी की गई थी जिसे अंकेक्षण अवधि तक समायोजित/वसूल नहीं किया गया। अतः समायोजन लेखे शीघ्र प्राप्त करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

0;fDr dk uke	mn~ns';	vfxze jkf'k	olwyh xbZ jkf'k	'ks"k
श्री अजय वैद्य	आयकर अपील हेतु	10,000.00	–	10,000.00

6 **e.Mh lfefr }kjk Lohd`r ctV ls vf/kd jkf'k ecfyx 44]83]615 #i;s dk O;; djuk rFkk foi.ku cksMZ dh Lohd`fr izkIr u djukA**

अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/2010 तक मण्डी समिति ऊना द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एंव विनियमन विधेयक 2005 की धारा 50(1) के अर्न्तगत विपणन बोर्ड से अपना बजट अनुमोदित करवाया था। परन्तु समिति ने मार्केटिंग बोर्ड से अनुमोदित बजट से अधिक मु0 44,83,615 रुपये का व्यय किया है जिसकी उक्त विधेयक 2005 की धार 50(2) में दिए गए प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुकूलन करवाएें व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए व भविष्य मे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए बिना इस प्रकार के अनियमित व्यय से निष्चित तौर पर परिहार किया जाए ताकि वित्तीय नियमों का किसी प्रकार उल्लंधन न हो।

foÙkh; o"kZ	O;; 'kh"kZ dk uke	Lohd`r ctV	okLrfod O;;
2008–09	वेतन	23,50,000.00	24,82,641.00
	कार्यालय व्यय	3,00,000.00	7,52,617.00
	फर्नीषिंग	–	29,295.00
	किसानों को ट्रेनिंग	–	40,000.00
	हॉसपिटिलिटी एण्ड एन्ट्रटेनमैन्ट	–	8,538.00
	बुक्स एण्ड पब्लिकेषनज	–	2,975.00
	आयकर	3,00,000.00	36,50,090.00
	सर्विस टैक्स	–	4,700.00
2009–10	मजदूरी	10,000.00	33,942.00
	सैमिनार एण्ड ट्रेनिंग	60,000.00	1,62,867.00
	रिसर्च व किसान ट्रेनिंग	–	28,800.00
	हासपिटिलिटी एण्ड एन्ट्रटेनमैंट	–	20,974.00
	बुक्स एण्ड पब्लिकेषनज	–	2,404.00
	आय कर	1,50,000.00	3,93,651.00
	सर्विस टैक्स	–	40,121.00
	;ksx	31]70]000-00	76]53]615-00

vf/kd O;; 76]53]615-00 & 31]70]000-00 ¾ 44]83]615-00 #i;s

7 **¼d½ ecfyx 61]22]730-00 #i;s dk ?kkf"kr fu.khZr Hkw&jktLo ¼,0,y0vkj½ dh olwyh u djus ckjs ¼&**

हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1969 एक्ट संख्या 9 ऑफ 1970 की धारा 38(2) तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एंव औधानिकीय उपज (विकास एंव विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 66 के अर्न्तगत कलैक्टर द्वारा मु0 61,22,730 रुपये की राशि एरियर ऑफ लैण्ड रैवन्यू निर्णीत/घोषित की है। सचिव विपणन समिति ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मु0 61,22,730 रुपये की राशि एरियर ऑफ लैण्ड रैवन्यू निम्नानुसार घोषित की गई है। इनमें से कुछ मामलों को निर्णीत हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। तथा वसूली बारे कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। जिसे विपणन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

Ø0 l0	QeZ dk uke	ALR ?kksf"kr gksu dh frfFk	ALR dh jkf'k ¼olwyh ;ksX;½	olwyh xbZ jkf'k	31-3-10 dks 'ks"k jkf'k
1	मैं0 राम रतन, विजय कुमार, ऊना	8.10.96	67,476.00	–	67,476.00
2	मैं0 ओम प्रकाष, विनय कुमार, ऊना	7.10.96	35,420.00	2000.00	33,420.00
3	मैं0 शंकर दास, बलराम कुमार, भलेड़ा	5.10.96	37,718.00	–	37,718.00
4	मैसर्ज नरेश चन्द, सपुत्र श्री किषन चन्द, गांव व डा0 थानाकलां	27.11.04	1,71,800.00	95,000.00	76,800.00
5	मैं0 तिलक राज, सपुत्र श्री किषन चन्द, सलोह	27.11.04	42,430.00	24,000.00	18,430.00
6	मै0 जे0के फूड टाहलीवाल	24.01.06	98,704.00	49,352.00	49,352.00
7	मैं0 धीमान राईस मिल्ज़ रैंसरी	10.02.06	3,97,140.00	–	3,97,140.00
8	मैं0 जै अम्बे राईस मिल्ज़ खानपुर	10.02.06	62,114.00	16,500.00	45,614.00
9	मैं0 कौषल रोलर फलोर मिल्ज़ टाहलीवाल	20.02.06	8,55,806.00	2,00,000.00	6,55,806.00
10	मैं0 सन्त राईस मिल्ज़ टाहलीवाल	10.02.06	7,37,124.00	3,68,562.00	3,68,562.00
11	मैसर्ज के0के0 कत्था उद्योग घनारी	27.11.04	1,74,000.00	30,000.00	1,44,000.00

12	मैं0 वशिष्ठ कत्था उद्योग डुमखर	29.11.06	6,35,000.00	18,000.00	6,17,000.00
13	मैं0 कृष्ण कुमार, सपुत्र श्री मंगत राम, भैरा	04.04.07	2,63,212.00	—	2,63,212.00
14	मैं0 ललित कुमार, सपुत्र श्री अषोक कुमार, ब्रह्मपुर	07.03.08	72,000.00	12,000.00	60,000.00
15	मैं0 एम0एम0 प्रोडक्टस कोटला खुर्द	07.03.08	17,65,500.00	2,94,250.00	14,71,250.00
16	मैं0 खन्ना कत्था उद्योग गांव व डा0 चक्क तह0 अम्ब	07.03.08	9,78,000.00	1,63,000.00	8,15,000.00
17	मैं0 जगदेव सिंह, सपुत्र श्री मियां सिंह, गांव व डा0 बरनोह	21.04.08	7,80,000.00	—	7,80,000.00
18	मै0 बख्शीष सिंह, सपुत्र श्री विधि चन्द, बडेहढ़ा	21.04.08	1,60,500.00	26,750.00	1,33,750.00
19	मैं0 नरेश कुमार, सपुत्र श्री प्रकाश चन्द, गांव व डा0 रायपुर तह0 अम्ब	21.04.08	69,000.00	3,000.00	66,000.00
20	मैं0 महावीर मीट विक्रेता पुराना बस अड्डा ऊना	12.07.09	13,200.00	5,000.00	8,200.00
21	मैं0 नन्द लाल मीट विक्रेता हमीरपुर रोड़ (ऊना)	07.08.09	18,000.00	4,000.00	14,000.00
				;kx	61]22]730-00

¼[k½ सचिव विपणन समिति ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार जिला समाहर्ता के पास मैसर्ज महेश उद्योग ओयल का मामला दिनांक 16.02.08 को मु0 5,20,10,292.00 रुपये का ऐरियर ऑफ लैण्ड रैवन्यू घोषित करने हेतु भेजा गया हैं। अतः निर्णय आने पर तदानुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए।

8 <u>e0 12]68]455-00 #i;s n.M C;kt dh Hkxrku ckjs</u> ¼&

सचिव विपणन समिति ऊना द्वारा समिति द्वारा देय आयकर को आयकर विभाग के पास समय पर जमा न करवाए जाने के कारण समिति को आयकर अधिनियम 1961 के नियम 234 ए तथा 234 बी के अन्तर्गत मु0 12,68,455 रुपये की राशि ब्याज के रूप में जमा करवानी पड़ी। यदि समिति द्वारा देय आयकर को उक्त विभाग के पास समय पर जमा करवाया जाता तो भुगतान किए गए ब्याज की राशि को बचाया जा सकता था। अतः यह प्रकरण मार्केटिंग बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आयकर अधिनियम 1961 के नियम 140 द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार जिम्मेवारी निर्धारित करने हेतु लाया जाता हैं। समिति द्वारा निम्नानुसार दण्ड ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है।

Ø0 l0	ok0 l0 o fnukd	o"k	dj ;kX; vk;	fu;e 234, d vuqlkj C;kt	fu;e 234ch d vuqlkj C;kt	Hkqxrku fd, x, C;kt dh dqy jkf'k
1	165 दिनांक 27.2.10	2002—03	2,61,100.00	34,015.00	45,113.00	79,128.00
2	165 दिनांक 27.2.10	2003—04	3,75,460.00	68,228.00	77,264.00	1,45,492.00
3	164 दिनांक 27.1.09	2004—05	5,68,749.00	64,990.00	76,360.00	1,41,350.00
4	164 दिनांक 27.1.09	2005—06	22,99,004.00	2,08,510.00	2,60,635.00	4,69,145.00
5	(i) 183 दिनांक 17.3.09 (ii)189 दिनांक 27.3.09	2006—07	24,30,960.00	1,21,950.00	1,75,300.00	2,97,250.00
6	(i) 189 दिनांक 27.3.09 (ii)207 दिनांक 31.3.09	2007—08	28,65,322.00	36,290.00	99,800.00	1,36,090.00
					;kx	12]68]455-00

9 cdk;k fdjk, dh jkf'k eq0 21]926 #i;s dh olwyh u djuk %&

किराया रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार विभिन्न विभागों से मु0 21,926.00 रुपये किराए की वसूली लम्बित है जिसकी वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए :—

Øe l[;k	Qe@foHkkx dk uke	ndku l[;k	yfEcr fdjk;k ¼fnukad 31-3-10 dk½
1	उप निदेषक कृषि विभाग ऊना	3	9,342.00
2	उप निदेषक कृषि विभाग ऊना	बूथ सं0 5,6	3,000.00
3	मैं0 जे0के0 फूड ऊना	दुकान सं0 4	7,000.00
4	तहसीलदार चुनाव ऊना	कार्यालय	2,584.00
			21]926-00

10 e0 17]910 #i;s ds dkuwuh iHkkj ds vf/kd Hkqxrku ckjA

विपणन समिति ऊना की दिनांक 5.6.06 को आयोजित बैठक की मद संख्या (झ) में जिला की विभिन्न अदालतों में चल रहे केसों हेतु वकीलों की फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई :–

Øe l[;k	foi.ku	ijkuh nj	ubZ nj
1	क्रिमिनल षिकायत	2,000.00	3,000.00
2	सिविल सूट	2,000.00	4,000.00
3	जिला सैषन कोर्ट	2,000.00	5,000.00
4	नोटिस	200.00	400.00

परन्तु सचिव विपणन समिति ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वकीलों को फीस का भुगतान उक्त दरों के अनुसार न करके मु0 17,910 रुपये का विपणन समिति ऊना द्वारा अधिक भुगतान किया गया जिसके बारे में अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से राशि की वसूली सुनिष्चित की जाए।

Ø0 l0	ok0 l0	ekg	dkuwuh iHkkj	vU; iHkkj	dqy	ns; jkf'k	vf/kd Hkqxrku	fVIi.kh
1	22	5/08	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
2	47		(i) 2,000.00	600.00	2,600.00	2,000.00	600.00	पुराना मामला
			(ii) 2,000.00	600.00	2,600.00	2,000.00	600.00	पुराना केस
			(iii)3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
3	62	7/08	3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
4	163	1/09	2,000.00	600.00	2,600.00	2,000.00	600.00	पुराना केस
5	70	8/08	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
6	110	10/08	3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–

7	127	11 / 08	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(iii)3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(iv)3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
8	163	01 / 09	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 2,000.00	600.00	2,600.00	2,000.00	600.00	–
9	97	09 / 09	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 2,000.00	440.00	2440.00	2,000.00	440.00	पुराना केस
			(iii)2,000.00	440.00	2440.00	2,000.00	440.00	पुराना केस
			(iv)1,000.00 (50%)	340.00	1340.00	1,000.00	340.00	पुराना केस
			(v)1,000.00 (50%)	340.00	1340.00	1,000.00	340.00	पुराना केस
10	127	12 / 09	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(iii)3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
11	136	1 / 10	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(iii)3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
12	166	3 / 10	(i) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
			(ii) 3,000.00	600.00	3,600.00	3,000.00	600.00	–
	ukfVl %&							
13	156	12 / 08	(i) 400.00	100.00	500.00	400.00	100.00	–
			(ii) 400.00	100.00	500.00	400.00	100.00	–
14	33	6 / 09	(i) 400.00	100.00	500.00	400.00	100.00	–
			(ii) 400.00	100.00	500.00	400.00	100.00	–
			(iii) 400.00	100.00	500.00	400.00	100.00	–
15	136	1 / 10	(i) 1,000.00	200.00	1,200.00	400.00	800.00	–
			(ii) 400.00	50.00	450.00	400.00	50.00	–
						; kx	17]910-00	

11 e.Mh lfefr Åuk }kjk tek@fu{ki dk;l djoku gr vnk dh xb e0 10]79]320 #i; dh jkf'k d mi;kfxrk iek.k&i= ikIr u djuk ¼&

मण्डी समिति ऊना ने विभिन्न जमा/निक्षेप कार्य करवाने हेतु विभिन्न विभागों तथा मार्केटिंग बोर्ड के पास अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/10 तक मु0 10,79,320 रुपये की राशि जमा करवाई गई है। परन्तु मण्डी समिति ऊना द्वारा जमा/निक्षेप कार्य करवाने के एवज में भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गएं अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

Øe l[;k	foHkkx dk uke	mn’;	jkf’k
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उपमण्डल सन्तोषगढ़	इन्सटालैषन ऑफ ट्रांसफार्मर	4,33,220.00
2	एच0 पी0 स्टेट इलैक्ट्रोनिकस डिवैलपमैन्ट कारपोरेषन षिमला–1	टैली ट्रेनिंग	1,07,100.00
3	मार्केटिंग बोर्ड षिमला	एडिषन एण्ड एलट्रेषन ऑफ चेयरमैन एण्ड सैक्रेटरी ऑफिस	5,39,000.00
		;kx	10]79]320-00

12 ecfyx 1]10]000 #i; dh ifrHkfr jkf'k dh olyh u dju ckjA

सन्तोषगढ़ उप मण्डी की नवनिर्मित दुकानों के आबंटन की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न अखबारों में छपवाए गए विज्ञापन तथा आबंटन पत्र की शर्तें निम्नानुसार थी :–

¼i½ सभी पात्र आबंटकों को 6 माह के किराए के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होंगी तथा हिमाचल प्रदेश राजकीय कृषि विपणन बोर्ड की अभियांत्रिक शाखा द्वारा निर्धारित किराया माहवार देना होगा। किराए में नियामानुसार समय–समय पर वृद्धि की जाएगी।

¼ii½ आबंटित की गई दुकानों के मालिक को मु0 10000 रुपये की राशि बतौर प्रतिभूति जमा करवानी होगी।

जांच में पाया गया कि आबंटकों से मु0 12,000/–रुपये की राषि जो कि 6 माह के किराए के बराबर प्रतिभूति राशि भी वसूल ली गई है। परन्तु निम्न आबंटकों से मु0 10,000 रुपये प्रतिभूति राशि प्रति आबंटक कुल मु0 1,10,000 रुपये की वसूली नही की गई थी, जिसे अविलम्ब वसूला जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

Øe l[;k	vkcVd dk uke	jkf'k
1	मैं0 रविन्द्र कुमार एण्ड सन्ज	10,000.00
2	मैं0 षिवालिक फ्रूट कम्पनी	10,000.00
3	मैं0 लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	10,000.00
4	मैं0 सेवा सिंह एण्ड कम्पनी	10,000.00
5	मैं0 मान फ्रूट कम्पनी	10,000.00
6	मैं0 कौषल फ्रूट कम्पनी	10,000.00
7	मैं0 ठाकुर फ्रूट कम्पनी	10,000.00
8	मैं0 श्री लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	10,000.00
9	मैं0 राजेश कुमार गांव व डा0 कांगड़ ऊना	10,000.00
10	मैं0 शाबू मल राम आसरा	10,000.00
11	मै0 राणा फ्रूट कम्पनी	10,000.00
	;kx	1]10]000-00

13 mi e.Mh lUrk"kx< dh ndkuk d vkcVu ckj %&

¼i½ दिनांक 19.2.09 को कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की मद संख्या 8 में हिमाचल प्रदेश औद्योगिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 के नियम 42 तथा हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति उपनियम 2007 के नियम 20 के अनुसार निम्नानुसार आबंटन उप समिति का गठन किया गया।

1	कैप्टन मंगत राम शर्मा अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	श्री बी0के0 बग्गा सदस्य सचिव	सदस्य
3	श्री प्रभु शान्डिल मण्डी प्रयवेक्षक	सदस्य
4	श्री आर0सी0 लखनपाल उपनिदेषक, उघान विभाग ऊना	सदस्य
5	श्री मनजीत पटियाल कृषक सदस्य	सदस्य

उप मण्डी सन्तोषगढ़ में नवनिर्मित 11 दुकानों का आबंटन करने हेतु दिनांक 2.7.09 को आबंटन समिति की ऊना में बैठक की गई। कार्रवाई रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नानुसार आबंटन समिति के सदस्य की उपस्थिति दर्षाई गई :–

1	कैप्टन मंगत राम शर्मा अध्यक्ष	पंजिका में हस्ताक्षर किए हैं।
2	श्री बी0के0 बग्गा सदस्य	पंजिका में हस्ताक्षर किए हैं।
3	श्री आर0सी0 लखनपाल सदस्य	पंजिका में हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

4 श्री प्रभु शान्डिल सदस्य पंजिका में हस्ताक्षर किए हैं।

5 श्री मनजीत पटियाल सदस्य पंजिका में हस्ताक्षर किए हैं।

vkcaVu mi lfefr }kjk fuEukuqlkj lUrks"kx< mie.Mh dh nqdkuks dk vkcaVu fd;k x;k %&

Ø0 l0	QeZ dk uke	nqdku la[;k
1	मैसर्ज रविन्द्र कुमार एण्ड सन्ज	1
2	मैसर्ज षिवालिक फ्रूट कम्पनी	2
3	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	3
4	मैसर्ज सेवा सिंह एण्ड कम्पनी	4
5	मैसर्ज मान फ्रूट कम्पनी	5
6	मैसर्ज कौषल फ्रूट कम्पनी	6
7	मैसर्ज ठाकुर फ्रूट कम्पनी	7
8	मैसर्ज श्री लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	8
9	मैसर्ज राजेश कुमार गांव व डा0 कांगड़ तहसील हरोली जिला ऊना	9
10	मैसर्ज शाबू मल राम आसरा	10
11	मैसर्ज राणा फ्रूट कम्पनी	11

कार्रवाई रजिस्टर के पृष्ठ 30 पर दिए गए टिप्पण के अनुसार, ‘‘some members of allotment sub committee namely V.K. Bagga and Parbhu Shandil are against the allotments made to the applicants mentioned at serial no. 5,6, and 8 as these applicants did not fulfill the prescribed terms and canditions. However majority of members are in favour of allotment to above applicants and that is why the shops have been allotment to them.”

परन्तु उक्त तीन फर्मों को दुकानों का किया गया आबंटन नियमानुसार उचित नहीं हैं। क्योंकि आबंटन उप समिति के एक अन्य सदस्य आर0सी0 लखनपाल जिन्होंने कार्रवाई पंजिका में हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वह भी उक्त तीन फर्मों को दुकानों का आबंटन करने के विरूद्ध थे। उन्होंने अपने पत्र संख्या : उद्यान (यू) 4–15/2008 दिनांक 20.8.09 द्वारा प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेश राजकीय कृषि विपणन बोर्ड षिमला को सूचित किया है कि, ‘‘ This has reference to Endst. No. ApMCV/1-4/80-54 dated 4-8-09 from Secretary Agriculture Produce Market Committee Una Distt. Una. H.P. on the subject cited above. In this context, it is stated that I am not agree with the contexts of last para of proceeding held on 2-7-09 which was circulated after one month because at the time of discussion, I was also against the allotment made to the applicants at Sr. No. 5,6, & 8.”

The Himachal Pradesh Agriculture Producer Marketing Committee bye lows 2007's roul 20(3) is said that "All questions which may comeup before a committee at any meeting shall be decided by a majority of the members present and voting and in every case of equality fo votes the person presiding shall have and exercise a second or casting votes."

आबंटन उप समिति के सदस्यों की संख्या 4 थी तथा उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि उप समिति के तीन सदस्य निम्नानुसार तीन दुकानों के आबंटन के विरूद्ध थे तथा मात्र एक सदस्य ही आबंटन के पक्ष में थे। अतः यह मामला विपणन बोर्ड के उच्च्च अधिकारियों के ध्यान में विषेष रूपे स नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है। जिन तीन आबंटियों को नियमों के विरूद्ध दुकानों का आबंटन किया गया उनका विवरण इस प्रकार हैः–

Ø0 l0	Qe dk uke	nqdku la[;k
1	मैसर्ज मान फ्रूट कम्पनी	5
2	मैसर्ज कौषल फ्रूट कम्पनी	6
3	मैसर्ज श्री लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	8

¼ii½ आबंटन की शर्त संख्या (1) के अनुसार, '' आवेदक अधिसूचित क्षेत्र ऊना का स्थायी निवासी तथा व्यापारी कृषि उपज मण्डी समिति ऊना से पंजीकृत स्थानीय मण्डी का फल व सब्जियों का व्यापारी हो तथा समिति का दोषी न हो।'' जांच करने पर पाया गया कि निम्न फर्मों के आवेदन के साथ हिमाचली प्रमाण पत्र संलम्न न थे जिनसे कि इन फर्मों के ऊना जिला के स्थायी निवासी होने बारे पुष्टि की जा सके। अतः बांछित प्रमाण पत्र अब प्राप्त किए जाएं तथा अनुपालना के इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	Qe dk uke
1	मैसर्ज ठाकुर फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़
2	मैसर्ज शाबू मल राम आसरा सन्तोषगढ़
3	मैसर्ज कौषल फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़
4	मैसर्ज राणा फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़
5	मैसर्ज राजेश कुमार, सपुत्र श्री जोगेन्द्र पाल, गांव व डा0 कांगड़
6	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़

14 ibU/kd fun'kd foi.ku ckM dh vuefr d fcuk ndkuk ,o [ky LFky dk vkcVu %&

दी हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर प्रोड़यूस मार्केट कमेटी बाई लाज़ 2007 के नियम 62(1) के अनुसार दुकानों इत्यादि का आबंटन करने से पूर्व प्रबन्ध निदेषक विपणन बोर्ड की पूर्व अनुमति लेना आवष्यक है। इसके अतिरिक्त नियम 62(2) के अनुसार निलामी हेतु दुकानों का विज्ञापन दिया जाना आवष्यक है।

जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दुकानों के आबंटन बारे न तो प्रबन्ध निदेषक विपणन बोर्ड की पूर्व अनुमति ली गई थी और न ही इनकी नीलामी बारे कोई भी विज्ञापन इत्यादि दिया गया था।

¼i½ दिनांक 18.8.09 को आयोजित की गई विपणन समिति की बैठक में वर्ष 2004–05 के दौरान ऊना में निर्मित 2 दुकानों का आबंटन निम्नानुसार किया गया।

Ø0 l0	Qe dk uke	ndku l[;k
1	मैसर्ज ओम फ्रूट कम्पनी	21
2	मैसर्ज बालकिषन एण्ड कम्पनी	22

¼ii½ दिनांक 18.8.09 को ही सन्तोषगढ़ उप मण्डी में निम्न फर्मों को स्थल का आबंटन किया गया :–

(1) मैसर्ज ओम प्रकाश एण्ड सन्ज

(2) मैसर्ज पुरी फ्रूट कम्पनी

अतः अनियमितता का यह प्रकरण विपणन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

15 gkexkM dk fd, x, e0 14]027 #i; d Hkxrku ckj %&

वाऊचर संख्याः 65 माह 7/09 राशि :– मुबलिग 14,027 रुपये

दिनांक 19.2.09 को कृषि उपज मण्डी समिति के सदस्यों की बैठक मे मद संख्या 14(घ) जिसका विवरण निम्नानुसार है, निर्णय लिया गयाः– ''सचिव द्वारा सदन को बताया गया कि गर्मियों मे सीजन के दौरान ज्यादा उपज/गाड़ियों की भीड़ होने के कारण सब्जी मण्डी ऊना में यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं रहती है और जाम लग जाता है इसलिए होमगार्ड की व्यवस्था की जाए। इस पर सरकारी सदस्य श्री बी0बी0 जोषी उप निदेषक पषु स्वास्थय/प्रजनन ऊना ने सुझाव दिया कि यातायात समस्या हेतु ट्रैफिक पुलिस की सहायता पुलिस अधीक्षक से मिल कर प्राप्त की जाए जिससे यातायात की समस्या उचित ढंग से हल की जा सकती है। अतः प्रस्ताव सदन द्वारा पारित कर दिया गया।''

चयनित माह के उपरोक्त भुगतान वाऊचर की जांच करने पर पाया गया कि 3 होमगार्ड को मु0 14,027 रुपये का भुगतान अपने स्तर पर सचिव द्वाराकर दिया गया जबकि यातायात समस्या हेतु पुलिस की सहायता उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्राप्त की जानी थी। अतः उक्त व्यय तथा अन्य मासों में भी यदि इस मद पर व्यय किया गया हो उसकी जांच अपने स्तर पर करके नियमतिकरण करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 e.Mh lfefr dk fu.kZ; dk ykxw u djuk %&

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना की दिनांक 8.6.2009 को आयोजित बैठक की मद संख्या 12 द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ट्रक से 20 रुपये व टैम्पों 407 से 10 रुपये व्यापारी वर्ग से पार्किंग फीस ली जाए। इस प्रस्ताव को पारित हुए लगभग एक वर्ष हो गया है परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पार्किंग फीस लेने से मण्डी ऊना की आय में लाखों रुपये की बढ़ौतरी हो सकती है। अतः इस निर्णय को लागू न करने के कारणों बारे इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए व भविष्य हेतु मण्डी समिति के उक्त पारित प्रस्ताव को लागू किया जाए ताकि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो।

17 निम्नानुसार प्रिंटिंग एण्ड स्टेषनरी विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला को किए गए भुगतान के समर्थन में रसीदें आवष्यक जांच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध न थी। अतः इन रसीदों को अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

okÅpj l0	ekg	fcy l[;k o fnukd	en dk uke	jkf'k
72	8/09	(i) 6667 दिनांक 1.7.09	फार्म 8	51,595.00
		(ii) 6600 दिनांक 14.7.09	फार्म आर	27,126.00

18 चयनित मासों में कर्मचारियो को किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि नियमानुसार उन्हें निम्नानुसार दवाईयां देय नहीं थी जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	ok0 l0	ekg	deZpkjh dk uke	fooj.k	Hkqxrku	ns; Hkqxrku	vf/kd Hkqxrku	fVIi.kh
1	170	3/10	श्री ज्ञान चन्द कनिष्ठ सहायक	अल्ट्रा साऊंड	450.00	100.00	350.00	—
2	69	8/09	श्री कुलदीप सिंह चॉकीदार	—	100.00	—	100	हि0प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित निजि चिकित्सक से ईलाज करवाया गया है। परन्तु करवाए गए ईलाज का भुगतान केवल रसीद पर कर दिया गया है जबकि रसीद में दवाईयों इत्यादि का कोई भी विवरण नही दिया गया है।

19 okÅpj l[;k 149 ekg 2@10 jkf'k 2]658 #i;s

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा निम्न कर्मचारियों से माह 2/10 के वेतन से मु0 2,758 रुपये की आयकर कटौती की गई। परन्तु गलत गणना के कारण इसे गणना में मु0 2,658 रुपये लिया गया। इस प्रकार आयकर विभाग के पास मु0 100 रुपये कम जमा करवाए गए।

Øe l[;k	de|pkjh dk uke	jkf'k
1	श्री कुलदीप सिंह मण्डी प्रयवेक्षक	1,698.00
2	श्री राम सिंह नीलामी कर्त्ता	1,060.00
		2]758-00

20 मण्डी समिति ऊना की अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/10 तक सचिव, विपणन समिति ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मुख्या मार्केट यार्ड, सब यार्ड एवं फील्ड मार्किट यार्ड के विभिन्न दुकानदारों, फर्मों, विभागों एवं संस्थाओं से वर्णित अवधि की मार्किट फीस वसूल नहीं की गई थी और न ही अंकेक्षण समाप्ति तक की अवधि की रिटर्न समिति में दाखिल की गई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उत्पाद विपणन (सामान्य) नियम 2006 के नियम 30(4) के अनुसार रिटर्न जमा करनी अनिवार्य है। अतः उक्त नियम के अन्तर्गत निम्न फर्मों से अंकेक्षण समाप्ति तक की अवधि की रिटर्न न प्राप्त करने का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए। अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ध्यान मे उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

Øe l[;k	QeZ dk uke	fjVuZ u iLrqr@izkIr djus dh fnukad@vof/k
1	मैं0 जनता मीट शाप मैहतपुर	31.12.09 से
2	मैं0 मोनिका फूड टाहलीवाल	26.10.08 से
3	मैं0 नरेश कुमार एण्ड ब्रदर्ज सन्तोषगढ़	28.2.10 से
4	मैं0 आर0वी0 इनडस्ट्रीज़ मैहतपुर	31.12.09 से
5	मैं0 सन्दल फलोर मिल्ज़ टाहलीवाल	28.2.10 से
6	मैं0 सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी सन्तोषगढ़	31.1.10 से
7	मैं0 जे0के0 फूड टाहलीवाल	13.1.10 से
8	मैं0 सन्त राईस मिल्ज़ टाहलीवाल	31.12.09 से
9	मैं0 सैणी फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	15.3.10 से
10	मैं0 जय दुर्गा ट्रेड़िग कम्पनी सन्तोषगढ़	6.2.10 से
11	मैं0 खजाना मल मुन्षीराम सन्तोषगढ़	25.1.10 से
12	मैं0 मदन लाल सपुत्र हरनाम दास	31.8.09 से
13	मैं0 गुरमेल सिंह एण्ड सन्ज सन्तोषगढ़	15.1.10 से
14	मैं0 करण चन्द एण्ड सन्ज सन्तोषगढ़	15.2.10 से
15	मैं0 राहुल कैटल फीड इन्डस्ट्रीज टाहलीवाल	30.11.09 से

16	मैं0 गुरू नानक डेयरी टाहलीवाल	28.2.10 से
17	मैं0 जुपिटर मल्टी फ्रूट प्रोसेस युनिट टाहलीवाल	31.12.09 से
18	मैं0 भगत राम जगदेव सिंह दुलैहड़	1.12.09 से
19	मैं0 चिन्त राम मूल राज नंगड़ां	15.10.09 से
20	मैं0 ओंकार फ्रूट कम्पनी लठियाणी	15.3.10 से
21	मैं0 रविन्द्र कुमार एण्ड सन्ज़ लठियाणी	28.2.10 से
22	मैं0 पंजाब झटका मीट शॉप बंगाणा	30.6.09 से
23	मैं0 सागली राम एण्ड सन्ज़ भड़ोलियां कलां	31.12.09 से
24	मैं0 नत्थू राम जनकी दास सनोली	28.2.10 से
25	मैं0 ओम प्रकाश कमल किषोर मैहतपुर	31.1.10 से
26	मैं0 सोम प्रकाश बुड प्रोडक्टस सन्तोषगढ़	18.1.10 से
27	मैं0 बहमानन्द रोमेषवर दत्त मैहतपुर	26.11.09 से
28	मैं0 केवल कृष्ण करियाना स्टोर चताड़ा	19.10.09 से
29	मैं0 रामा एजेन्सी एण्ड जनरल स्टोर मैहतपुर	13.1.10 से
30	मैं0 कौषल रोलर फलोर मिल्ज़ टाहलीवाल	20.9.06 से
31	मैं0 कमल कत्था उद्योग करलूही	1.3.10 से
32	मैं0 राम नाथ सोम नाथ मेन बाजार ऊना	21.2.10 से
33	मैं0 सैणी जनरल स्टोर आदर्ष नगर ऊना	15.2.10 से
34	मैं0 एच0पी0 मिल्क फैडरेषन बंगाणा	1.4.09 से
35	मैं0 चमन लाल एण्ड सन्ज़ करयाना मर्चेंट ऊना	1.1.10 से
36	मैं0 वर्मा टिम्बर स्टोर गगरेट	1.1.10 से
37	मैं0 षिव एग्रो फूट इन्डस्ट्रीज़ गगरेट	1.3.10 से
38	मैं0 हिमाचल टिम्बर मर्चेन्ट गगरेट	1.1.10 से
39	मैं0 मिल्क चिलिंग सैन्टर झलेड़ा	1.4.09 से
40	मैं0 गणेश मिल्क ऐजेन्सी अम्ब	1.3.10 से
41	मैं0 जसवीर सिंह एण्ड ब्रदर्ज गोन्दपुर बनेहड़ा	1.2.10 से
42	मैसर्ज रामजी दास अविनाश कुमार ऊना	1.3.10 से
43	मैसर्ज रमण कुमार फ्रूट शॉप गगरेट	1.3.10 से
44	मैं0 धर्म चन्द फ्रूट एण्ड वैजिटेबल शॉप गगरेट	1.3.10 से
45	मैं0 हरि कृष्ण बलराम कुमार ऊना	31.12.09 से
46	मैं0 सुखराम पाल मीट सैलर ऊना	1.1.08 से
47	मैं0 तिलक सिंह एण्ड कम्पनी ऊना	1.11.09 से
48	मैं0 पवन कुमार फ्रूट एण्ड वैजीटेबल शॉप गगरेट	1.3.10 से

49	मैं0 अनिल कुमार एण्ड सन्ज गगरेट	5.2.10 से
50	मैं0 कृष्णा इन्ट्रपाईजिज भरवाई रोड़ गगरेट	18.4.09 से
51	मैं0 न्यू जनता मीट शाप अम्ब	16.2.09 से
52	मैं0 राणा मीट शाप अम्ब	1.3.09 से
53	मैं0 रमजान मोहम्मद मीट सैलर अम्ब	1.3.09 से
54	मैं0 रिदय फर्नीचर इन्डस्ट्रीज ऊना	1.1.10 से

21 हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनयमन) विधेयक 2005 के नियम 60(1) के अनुसार सभी लाइसैन्सधाराकों से प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले उनके द्वारा अधिसूचित मदों के किए गए व्यापार की रिटर्न वित्तीय वर्ष के आधार पर समिति में दाखिल की जानी अनिवार्य है। जांच में पाया गया कि किसी भी लाईसैन्स धारक से समिति द्वारा यह रिटर्न प्राप्त नहीं की गई है जिसके बारे में नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए।

22 ykbZlUl dk uohuhdj.k ckjA

विपणन समिति ऊना द्वारा निम्नानुसार विभिन्न लाईसैन्सधाराकों को लाईसैन्स जारी किए गए थे। परन्तु लाईसैन्स रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि इन लाईसैन्स का अंकेक्षण समाप्ति तक भी नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 21(1) व (2) के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए।

Ø0 l0	ykbZlUl /kkjd dk uke	fooj.k
1	मैसर्ज पिरथी चन्द जगननाथ सोहारी	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–134 / 08
2	मैसर्ज न्यू जनता मीट षाप नजदीक बस स्टैण्ड ऊना	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–220 / 08
3	मैसर्ज कौषल टिम्बर एण्ड आयरन स्टोर नंगल रोड़ ऊना	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–236 / 08
4	मैसर्ज ए.टू जेड डैकोरेषन हाऊस इन्डस्ट्रीयल एरिया अम्ब	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–263 / 08
5	मैसर्ज ए.टू.जेड ट्रेंड़िग कम्पनी ऊना रोड़ अम्ब	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–264 / 08
6	मैसर्ज जेके फूडज लिमिटेड शॉप नं0 4 अनाज मण्डी ऊना	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–293 / 09
7	मैसर्ज जाहरवीर ट्रेडर्ज किटपल नादौन	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–297 / 09
8	मैसर्ज कन्हैया ट्रेडिंग कम्पनी झलेड़ा	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–298 / 09
9	मैसर्ज नन्द लाल मांस विक्रेता ऊना	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–309 / 09

10	मैसर्ज कुमार मीट शॉप पुराना बस अड्डा ऊना	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–310 / 09
11	मैसर्ज पंजाब झटका मीट शॉप बंगाणा	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–192 / 08
12	मैसर्ज हिम कत्था उद्योग गगरेट	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–300 / 09
13	मैसर्ज मोहन फलोर मिल सन्तोषगढ़	ए.जी.आर / ए.पी.एम.सी / ऊना–307 / 09

23 लाईसैन्स नवीनीकरण की जांच करने पर पाया गया कि नवीनीकरण रजिस्टर पृष्ठ 310 पर रसीद संख्या 122 / 006 दिनांक 18.3.2010 के अर्न्तगत मैसर्ज विजय जनरल स्टोर ऊना के लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क मु0 100 रुपये की वसूली दर्षाई गई है। वास्तव में रसीद संख्या 122 / 006 दिनांक 18.3.2010 द्वारा मैसर्ज पुरी ट्रेडर्ज ऊना की लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गई है जो कि नवीनीकरण रजिस्टर के पृष्ठ 309 पर अंकित है। इस प्रकार एक ही रसीद के विरूद्ध दो फर्मों के लाईसैन्सों का नवीनीकरण दर्षाया गया है जो कि गलत है। अतः विजय जनरल स्टोर ऊना से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (सामान्य) नियम 2006 के नियम 21(2) के अनुसार कार्यवाही करके लाईसैन्स नवीनीकरण राशि की वसूली की जाए।

24 निम्नानुसार फर्मों से प्राप्त मण्डी शुल्क की राशि की जांच करने पर पाया गया कि फर्मों ने 'ओ' फार्म के साथ 'आर' फार्म संलग्न नहीं किया था। जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 30 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यह वांछनीय है। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इसकी अनुपालना सुनिष्चित की जाए।

Ø0 l0	Qe dk uke	vof/k	jkf'k	e.Mh 'kqYd dh jkf'k
1	मैं0 अमृत ट्रेडिंग कम्पनी	18.8.08	11.870.00	119.00
2	मैं0 आर.एन.शर्मा	29.8.08	20,530.00	206.00
3	मैं0 जमुना आलू कम्पनी	16.3.09	16,575.00	166.00
4	मैं0 आर.एन.शर्मा एण्ड कम्पनी	15.3.10	18,100.00	181.00
5	मैं0 आर.एन.शर्मा एण्ड कम्पनी	6.12.09	9,200.00	92.00
6	मैं0 देषमुख एण्ड कम्पनी	20.3.10	14,000.00	140.00
7	मैं0 बदरी राम जगदीश राम चिन्तपूर्णी	1.12.09 से 28.2.10	–	1,300.00
8	मैं0 गणेश मिल्क एजेन्सी अम्ब	1.8.08 से 31.10.08	78,880.00	788.00
9	मैं0 गणेश मिल्क एजेन्सी अम्ब	1.10.09 से	79,900.00	799.00

		28.2.10		
10	मैं0 रामा फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	10.3.10 से 31.3.10	61,500.00	615.00

25 लाईसैन्स धारकों के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उन्होंने निम्नानुसार मण्डी शुल्क की राशि मण्डी समिति ऊना के पास कम जमा करवाई है जिसकी वसूली सम्बन्धित से सुनिष्चित की जाए।

Ø0 l0	Qe dk uke	vof/k	e.Mh 'kqYd n;	olwy xbZ jkf'k	de olwy h
1	मैं0 आर0एन0 शर्मा एण्ड कम्पनी	(i) 1.3.10 से 31.3.10	11,500.00	11,479.00	21.00
		(ii) 30.11.09 से 3.1.10	12,371.00	13,311.00	60.00
2	मैं0 जमुना आलू कम्पनी	1.3.10 से 31.3.10	12,093.00	12,072.00	21.00
3	मैं0 लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	5.3.10	78.00	69.00	9.00

26 मैसर्ज यमुना आलू कम्पनी की दिनांक 18.8.09 की रिटर्न जो कि रद कर दी गई दर्षाई गई है की जांच करने पर पाया गया कि 'क्यू' फर्म के साथ 'आर' फार्म की मात्र एक प्रति संलग्न की गई थी। जबकि 'आर' फार्म की तीनों प्रतियां प्राप्त न करने के कारणों बारे इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए अथवा वांछित अभिलेख अब प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

27 निम्न फर्मों के नीलामी रजिस्टर विपणन समिति ऊना के नीलामी कर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित न थे जिसके अभाव में इन फर्मों से प्राप्त मण्डी शुल्क की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अतः इस बारे वास्तुस्थिति इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Øe l[;k	Qe dk uke
1	मैसर्ज हिमाचल फ्रूट कम्पनी
2	मैसर्ज जय राम दास

28 फील्ड मार्केट की विभिन्न फर्मों से प्राप्त मण्डी शुल्क की जांच करने पर पाया गया कि उन द्वारा दी गई रिटर्न में फलों एंव सब्जियों की मात्रा तथा कीमत ही दर्षाई गई थी तथा इनसे सम्बन्धित बिल संख्या इत्यादि विवरण में नहीं दर्षाई गई थी और न ही बिल की प्रति रिटर्न के साथ संलग्न की गई थी। अतः इसके अभाव में प्राप्त मण्डी शुल्क की वास्तविकता बारे पुष्टि नही की जा सकी, जिस बारे अब अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य हेतु सम्पूर्ण अभिलेख का प्रस्तुतीकरण भी सुनिष्चित किया जाए।

Ø0 l0	Qe dk uke	vof/k	ekg	jkf'k	e.Mh 'kqYd

1	मैं0 षिवम्बू इन्ट्रनेषनल	1.4.09 से 30.6.09	12/09	42,80,058.00	42,801.00
2	मैं0 बदरी राम एण्ड जगदीश राम चिन्तपूर्णी	1.11.09 से 30.11.09	12/09	1,27,205.00	1,273.00
3	मैं0 जस्वाल फ्रूट	(i) 1.7.08 से 31.7.08	8/08	1,200.00	12.00
	कम्पनी मुबारिकपुर	(ii) 1.2.10 से 24.2.10	3/10	30,000.00	300.00
		(iii) 1.12.08 से 28.2.09	3/09	40,000.00	400.00
4	मैं0 बलबिन्द्र फ्रूट कम्पनी मुबारिकपुर	1.2.10 से 25.3.10	3/10	30,000.00	300.00
5	मैं0 पंकज कुमार घंडावल	(i) 1.7.08 से 31.7.08	8/08	12,200.00	122.00
6	मैं0 अनिल कुमार एण्ड सन्ज गगरेट	16.8.09 से 4.2.10	—	64,300.00	645.00
7	मैं0 आर के ट्रेडिंग	(i) 28.3.08 से 30.7.08	—	16,22,538.00	16,226.00
	कम्पनी गगरेट	(ii) 19.2.10 से 26.3.10	—	7,00,675.00	7,007.00
8	मैं0 डोबर फिषर सोसाईटी डोबर	1.2.09 से 31.3.09	—	5,69,899.00	5,699.00
9	मैसर्ज लठियाणी	(i) 11.2.08 से 19.3.09	—	2,21,072.00	2,213.00
	फिषर को ऑप्रेटिव	(ii) 11.3.09 से 13.3.09	—	42,909.00	429.00
	सोसाईटी लठियाणी	(iii) 11.2.10 से 31.3.10	—	1,75,536.00	1,775.00
10	मैं0मन्दली फिषर	(i) 21.1.09 से 20.3.09	—	1,91,562.00	1,921.00
	कोआप्रेटिव सोसाइटी मन्दल	(ii) 21.3.09 से 31.3.09	—	6,90,323.00	6,903.00
11	मैसर्ज आर.बी. इन्डस्ट्रीज मैहतपुर	1.9.07 से 31.10.07	—	1,10,903.00	1,109.00
12	मैं0 दीवान चन्द	(i) 1.10.08 से 28.2.09	—	40,000.00	400.00
	रामजी छैगां	(ii) 1.1.10 से 30.3.10	—	50,000.00	500.00

29 मुख्य यार्ड ऊना व सब यार्ड सन्तोषगढ़ के आढ़तियों से प्राप्त मण्डी शुल्क की जांच करेन पर पाया गया कि उनके द्वारा फलों एवं सब्जियों का क्रय बाहरी राज्यों की फर्मों से किया जाता है। फर्मों द्वारा दी गई रिटर्न के 'ओ' फार्म पर मदों की कीमत ही दर्षाई गई हैं तथा जिन फर्मों से यह मात्रा क्रय की गई है उनकी बिल संख्या तथा नाम इत्यादि 'ओ' फार्म पर नहीं दर्षाए जा रहे हैं। जिसके अभाव में इन फर्मों से प्राप्त मण्डी शुल्क की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती । अतः अनियमितता का यह प्रकरण विपणन बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

30 सब यार्ड सन्तोषगढ़ के आढ़तियों से प्राप्त मण्डी शुल्क की जांच करने पर पाया गया कि उनके द्वारा 'ओ' फार्म के साथ संलग्न की गई 'आर' फार्म की प्रति की दोनों प्रतियों बार–बार (डुप्लीकेट) संलग्न की गई है जबकि 'ओ' फर्म के साथ मुल प्रति आर फार्म संलग्न की जानी वांछित है तथा 'आर' फार्म की डुप्लीकेट प्रति उनकी अपनी प्रति है। अतः इस त्रुटि के कारण उनके द्वारा जमा करवाई गई मार्केट फीस की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

Ø0 l0	Qe dk uke	vkj0 Qke l0	fnukd	jkf'k
1	मैं0 मान फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	(i) 558/30	1.11.09	1,600.00
		(ii) 558/30	2.12.09	2,450.00
		(iii) 558/32	4.12.09	2,350.00
		(iv) 558/32	5.12.09	2,700.00
2	मैं0 कौषल फ्रूट कम्पनी सन्तोषगढ़	(i) 559/31	2.12.09	2,500.00
		(ii) 559/31	2.12.09	2,200.00

31 मैसर्ज भारत ट्रेडिंग कम्पनी की अवधि 28.12.09 से 10.1.10 की रिटर्न 'ओ' फार्म की फोटोप्रति पर स्वीकार की गई है। इस बारे हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 30(4) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के विभिन्न नियमों में दिए गए अभिलेख को मण्डी समिति ऊना द्वारा तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में नियमों के दृष्टिगत इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार बांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

Ø0 l0	Qke l[;k	fu;e	mn's;
1	'एल'	30(4)	क्रेता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर
2	'पी'	30(11)	नीलामी रजिस्टर
3	'एस'	31(7)	प्राईवेट मण्डी प्रांगण में भरा जाने वाला नीलामी रजिस्टर
4	'बी'	37(1)	विक्रय और क्रय की वार्षिक विवरणी
5	'डब्लयू'	37(2)	समिति द्वारा अनुरक्षित कृषि उपज के क्रय और विक्रय का रजिस्टर

33 अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/2010 के चयनित मासों में मण्डी क्षेत्र के मुख्य मार्केट यार्ड तथा सब यार्ड द्वारा प्राप्त मण्डी शुल्क की जांच करने पर पाया गया कि अधिकतर फर्मों से मण्डी शुल्क हर मौसम में लगभग एक समान आ रहा हैं। जबकि फल, सब्जियों के भरपूर मौसम में मण्डी शुल्क तुलनात्मक अधिक आना चाहिए। अतः इस बारे अंकेक्षणको औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

34 fofHkUu U;k;ky;k e e.Mh lfefr }kjk nk;j idj.k tk fd fu.k; gr yfEcr gA

मण्डी समिति द्वारा जारी सूची जो कि परिशिष्ट 'ग' में दर्षाई गई है, के अनुसार अवधि 4/10 तक अनेक व्यापारियों के विरूद्ध लाईसैन्स प्राप्त करने व किराया वसूली से सम्बन्धित मामले विभिन्न न्यायालयों में दायर हैं। इन सभी मामलों में अदालती निर्णय प्राप्त होने पर तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिष्चित की जाए।

35 y?k vkifr foojf.kdk %& इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

36 fu"d"k %& लेखाओं में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए)सी (15)(14)83/84–खण्ड–4

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव विपणन समिति ऊना, जिला ऊना को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।
2. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीणी षिमला–171002.
3. सचिव(कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए)सी (15)(14)83/84–खण्ड–4 दिनांक, षिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव विपणन समिति ...., जिला .... को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।
2. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीणी षिमला–171002.

3. सचिव(कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए)सी (15)(14)83 / 84–खण्ड–4 दिनांक, षिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव विपणन समिति ...., जिला .... को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।
2. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीणी षिमला–171002.
3. सचिव(कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए)सी (15)(14)83 / 84–खण्ड–4 दिनांक, षिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव विपणन समिति ...., जिला .... को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।
2. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीणी षिमला–171002.
3. सचिव(कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.